न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–103 / 17–18

मानकी हजाम बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
09/02/23	आवेदक मानकी हजाम, मौजा–टंडवा, थाना–प्रतापपुर, जिला–चतरा द्वारा मौजा–टण्डवा थाना नं0–32, थाना–प्रतापपुर–जिला–चतरा के अंदर खाता संख्या–116, प्लॉट संख्या–229, कुल रकबा–2.85 एकड़, खाता संख्या–88, प्लॉट संख्या–1129, रकबा–0.45 एकड़ भूमि वो प्लॉट संख्या–1096, रकबा–0.06 एकड़ भूमि के संदर्भ में आवेदक के आवेदक के जमाबंदी खाता संख्या–88 एवं 116 से विपक्षी के पिता–रामदेव हजाम का नाम हटाने हेतु अधिवक्ता के माध्यम से विविध वाद वाद दायर किया गया। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विद्व अधिवक्ता ने अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया गया है कि**– मौजा–टण्डवा थाना नं0–32, थाना–प्रतापपुर–जिला–चतरा के अंदर **खाता संख्या–116**, प्लॉट संख्या–229, कुल रकबा–2.85 एकड़ जमीन **गैरमजरूआ खास** दर्ज है वो **खाता संख्या–88**, प्लॉट संख्या–1129, रकबा–0.45 एकड़ भूमि वो प्लॉट संख्या–1096, रकबा–0.06 एकड़ दोनों प्लॉट का कुल रकबा–51 डी0 भूमि है। **यह कि उक्त जमीन को आवेदक ने भूतपूर्व जमीन्दार से हुकुमनामा दिनांक–16.06.1949 वो दिनांक–13.01.1947 के द्वारा हासिल किया है** जो सिर्फ मानकी हजाम के नाम से है, विपक्षी के पिता रामदेव ठाकुर, विन्देश्वर हजाम का लड़का नहीं है, बल्कि रामदेव के पिता गया जिला के रामऔतार ठाकुर है। यह कि उपर वर्णित भूमि जमाबंदी में आवेदक के नाम से खोला गया वो आवेदक वर्ष 2011 ई0 तक उपर वर्णित भूमि का मालगुजारी अदाय कर सरकारी रसीद अपने नाम से हासिल करते आ रहे है और जमीन आवेदक के दखल एवं कब्जा में है, प्रत्येक वर्षफल उपजा कर अपना	

मशरूफ कर रहे है। यह कि इस वर्ष जब उपर वर्णित भूमि का रसीद कटाने गये तब राजस्व कर्मचारी द्वारा पता लगा कि उपर वर्णित भूमि के जमाबंदी में विजय ठाकुर ने अपने स्व0 पिता के नाम दोनों खाता के जमाबंदी में राजस्व कर्मचारी वो अंचल अधिकारी के द्वारा नाजायज ढंग से खाता संख्या–8 में मानकी हजाम वगैरह रामदेव हजाम गलत ढंग से दर्ज करवा लिया है। यह कि खाता संख्या 116 प्लॉट संख्या 221 रकवा–2.85 डी0 जमीन में भी मानकी हजाम के बाद वगैरह रामदेव हजाम नाजायज तरीके से दर्ज करवा लिया है। यह कि बातों का जब मुझे जानकारी मिला तब अंचल अधिकारी के पास लिखित आवेदन दिया। अंचल अधिकारी ने राजस्व कर्मचारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग किये लेकिन राजस्व कर्मचारी ने जॉच प्रतिवेदन नही दिया। यह कि अंचल अधिकारी से दिनांक–02.01.2017 को पुछा तब वे बोले कि तुमको जहॉ जाना है जाओं, तुम्हारा काम नहीं करेगें। हमको जो करना था सो कर दिया। यह कि आवेदक ने जमाबंदी पंजी–2 का ऑनलाईन होने पर कॉपी निकाला तो देखा कि मेरा जमाबंदी पृष्ठ सख्या 90 को पृष्ठ सख्या 88 पर गलत ढंग से बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी पंजी 2 विपक्षी राजसव कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी के मेल में लाकर नाम गलत तरीके से दर्ज करवा लिया है जो नाजायज है।" प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदक के आवेदन को संज्ञान में लेकर अंचल अधिकारी, प्रतापपुर से जॉच प्रतिवेदन मांग कर जमाबंदी खाता सख्या–88 एवं 196 से विपक्षी के पिता रामदेव हजाम का नाम हटाने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–यह वर्तमान वाद द्वितीय पक्ष के सदस्य के विरूद्ध पोषणीय नही है। यह है कि विवादित भूमि खाता संख्या–116, प्लॉट संख्या–221, रकवा–2.85 एकड़ एवं खाता संख्या–88, प्लॉट संख्या–1121 रकवा–45 डी0, प्लॉट संख्या–1096 रकवा–06 डी0 भूमि मौजा–टण्डवा, प्रतापपुर के अन्तर्गत अवस्थित है। यह है कि वर्ष 1941 में पूर्व जमीन्दार के द्वारा दो हुकुमनामा मानकी हजाम एवं रामदेव हजाम के संयुक्त नाम से निर्गत है, के माध्यम से उक्त भूमि प्राप्त है। आवेदक के द्वारा यह कहना कि भूमि सिर्फ मानकी हजाम के नाम से हुकुमनामा के माध्यम से प्राप्त है, बिल्कुल गलत है। यह है कि आवेदक के द्वारा रामदेव ठाकुर का भूमि हड़पने की मंशा से रामदेव ठाकुर के पिता का नाम रामोतार ठाकुर बताया जा रहा है जबकि मानकी हजाम एवं रामदेव ठाकुर उर्फ हजाम दोनों अपने

भाई है तथा उनके पिता बिन्देश्वर ठाकुर उर्फ हजाम है। यह है कि पंजी–2 राजस्व न्यायालय का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है इसलिए द्वितीय पक्ष के द्वारा सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है, जिसमें मानकी हजाम एवं रामदेव हजाम दोनों का नाम दर्ज है। हुकुमनामा से भूमि प्राप्त होने के बाद जमीन्दारी उन्मूलन के बाद भी संयुक्त जमाबंदी अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा कायम कर संयुक्त रूप से रसीद निर्गत किया गया है। उक्त भूमि का ऑनलाईन रसीद भी दोनों पक्षों के नाम से निर्गत हो रहा है। आपसी बंटवारा के अनुसार दोनो भाईयों मानकी हजाम एवं रामदेव ठाकुर अपने अपने हिस्सा की भूमि पर आवासीय मकान बनाकर दखल कब्जा में है। रामदेव ठाकुर की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र विजय ठाकुर दखलकार है।" द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रथम पक्ष के द्वारा दायर वाद को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के पत्रांक–625, दिनांक–17.11.2022 के जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया है कि–" मानकी हजाम बनाम विजय ठाकुर दोनो ग्राम–टण्डवा व अंचल प्रतापपुर से संबंधित आवेदन का जाँच संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक, प्रतापपुर से कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में ग्राम–टण्डवा थाना नं0–32 के खाता संख्या–116, गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। जिसका प्रश्नगत प्लॉट संख्या–221 का खतियानी रकवा–12.50 एकड़ **किस्म जंगल** है। इस खाता प्लॉट की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–90/1 पर मानकी हजाम व रामदेव हजाम पिता बिन्देश्वर हजमा के नाम से खाता संख्या–116 प्लॉट संख्या–221 के खतियानी रकवा–12.50 ए0 किस्म जमीन जगल दर्ज है। इस खाता प्लॉट की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–90/1 पर मानकी हजाम एवं रामदेव हजाम पिता बिन्देश्वर ठाकुर के नाम से खाता संख्या–116 प्लॉट संख्या–221 रकवा–2.85 ए0 दर्ज है। फिर ऑनलाईन पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–88/1 पर मानकी हजाम वगैरह रामदेव हजाम पिता बिन्देश्वर ठाकुर के नाम से खाता संख्या–80 रकवा–0.51 ए0 दर्ज है। वर्तमान में पंजी–2 अभिलेखागार चतरा में जमा है, परंतु जब पंजी–2 हल्का कार्यालय में था तो उस समय के तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन पंजी–2 के छायाप्रति के साथ दिनांक–07.03.2018 अंचल कार्यालय में जमा किया गया। इस जाँच प्रतिवेदन एवं पंजी–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनो जमाबंदी में मानकी हजाम वगैरह पिता–बिन्देश्वर ठाकुर (हजाम)

लिखा हुआ था उसी वगैरह के स्थान पर रामदेव हजाम लिखा हुआ है। दोनो जमाबंदी का प्राधिकार कॉलम में सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। लेकिन पंजी–2 में वगैरह के स्थान पर छेड़छाड़ है। बुझारत पंजी में मानकी ठाकुर, रामदेव ठाकुर पेशरान विन्देश्वर ठाकुर का नाम दर्ज है। Rsgister tenants ledger में भी मानकी हजाम वगै0 दर्ज है। बदु ठाकुर पिता मानकी पिता हजाम द्वारा भी लगान रसीद का छायाप्रति दिया गया जो स्पष्ट नहीं है। इसलिए लगान रसीद का मांग किया किन्तु मूल लगान रसीद नहीं दिखाया। एक लगान रसीद दिखाया भी जिसमें मानकी हजाम वगै0 लिखा हुआ था। इसलिए रसीद झट से खींच लिया। मोबाईल से फोटो भी नहीं खिचने दिया। स्थल जॉच के दौरान ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मानकी हजाम व रामदेव हजाम पेशरान बिन्देश्वर ठाकुर आपस में सहोदर भाई है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि प्रश्नगत भूमि पर दोनों भाईयों का बराबर–बराबर (आधा–आधा) हिस्सा व जोत–कोड़ दखल कब्जा है। मानकी ठाकुर के चार पुत्र 1 बदु ठाकुर 2 गनेशी ठाकुर 3 कृष्णा ठाकुर 4 रामवरत ठाकुर है। वहीं रामदेव ठाकुर का एकमात्र पुत्र विजय ठाकुर है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मानकी हजाम व रामदेव हजाम आपस में सहोदर भाई है प्रश्नगत भूमि पर दोनों के वंशज का जोत कोड़ है मामला स्वात्वाधिकार से संबंधित है जिसका समाधन सक्षम न्यायालय में ही संभव है।"

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन/कागजातों, अंचल अधिकारी, प्रतापपुर से प्राप्त जाचं प्रतिवेदन तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर निम्न बिन्दु परिलक्षित होता है :–

⟹ **गैरमजरूआ खास किस्म जंगल भूमि का मामला।**

⟹ **गैरमजरूआ खास किस्म जंगल भूमि का मामला :–** **अंचल अधिकारी, प्रतापपरु के पत्रांक–625, दिनांक–17.11.2022 के जॉच प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया है कि–**"मानकी हजाम बनाम विजय ठाकुर दोनो ग्राम–टण्डवा व अंचल प्रतापपुर से संबंधित आवेदन का जॉच संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक, प्रतापपरु से कारया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में ग्राम–टण्डवा थाना नं0–32 के खाता संख्या–116, गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। जिसका प्रश्नगत प्लॉट संख्या–221 का खतियानी रकवा–12.50 एकड़ **किस्म जंगल** है। इस खाता प्लॉट की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी–2 के पृष्ठ सख्या–90/1 पर मानकी हजाम व रामदेव हजाम पिता विन्देश्वर हजमा के नाम से खाता संख्या–116 प्लॉट संख्या–221 के

खतियानी रकबा–12.50 ए0 किस्म जमीन जंगल दर्ज है।"

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के द्वारा निर्गत विभिन्न पत्रांक–1704/रा0, दिनांक–15.07.2020, पत्रांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016, पत्रांक–2861/रा0, दिनांक–08.06.2017, पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 एवं 2884/रा0, दिनांक–10.07.2018 एवं 6205/रा0, दिनांक–27.12.2017 के माध्यम से अवैध जमाबंदी को रद्द करने तथा नियमित करने एवं अन्य से संबंधित मामले पर दिशा–निर्देश प्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही भूमि के किस्म के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करना है। अतः अंचल अधिकारी, प्रतापपुर को आदेश दिया जाता है कि संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर II एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए तथा साथ ही साथ यह भी जांच कर संतुष्ट हो ले कि जमाबंदी कब कायम हुई है तथा सरकारी रसीद कब से निर्गत हो रही है तथा वन विभाग से भी स्पष्ट हो ले कि संबंधित भूमि वन सीमा से अंदर है या बाहर तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा T.N. Godavarman Thirumal Vs Union of India 1995 से संबंधित वाद में पारित आदेश का अवलोकन करने के पश्चात् नियमसंगत/विधिसम्मत अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, प्रतापपुर को अग्रतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

09/02/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

09/02/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.04 08:57:42 -07:00
Location: 2409:40e4:46:f988:3cdd:4fd4:3279:4ffe